मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण, क्रम संख्या–02, आबूरोड ।

पीठासीन अधिकारी – **सुरेश कुमार (प्रथम)**
जिला न्यायाधीश संवर्ग

मोटरयान दुर्घटना दावा प्र. सं. 01/23
सीआईएस संख्या – 293/2021

01– श्रीमती हकली पत्नी बाबु, उम्र 58 वर्ष, पेशा गृहणी ।
02– श्री बाबु पुत्र खुमा, उम्र 61 वर्ष, पेशा आराम ।
03– श्रीमती चम्पा देवी बेवा रुपाराम उर्फ बासुराम, उम्र 21 वर्ष, पेशा गृहणी ।
तमाम निवासीयान – कुई आबूरोड तहसील आबूरोड, जिला सिरोही राजस्थान ।

.....प्रार्थीगण

बनाम

01– सुरेश पुत्र औंकार सिंह, उम्र 51 वर्ष, पेशा ड्राईविंग, निवासी जोगपुरा, पोस्ट सरदारगढ, पुलिस थाना राया, जिला मथुरा उत्तरप्रदेश ।

(वाहन पिकअप संख्या आरजे–19 जीसी–2477 का चालक)

02– हितेश चौधरी पुत्र जगदीश चौधरी, उम्र 45 वर्ष, पेशा ठेकेदारी, निवासी मकान नंबर 29/3, चौधरी निकेतन, भास्कर चौराहा के पास, रातानाडा, पुलिस थाना रातानाडा जोधपुर शहर, जिला जोधपुर राजस्थान

(वाहन पिकअप संख्या आरजे–19 जीसी–2477 का स्वामी)

03– नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड जरिये उसके डिवीजनल मैनेजर महोदय, थर्ड पार्टी हब, सन टॉवर, चौथी मंजील, मैन पाल रोड, जोधपुर राजस्थान ।

(वाहन पिकअप संख्या आरजे–19 जीसी–2477 की बीमा कंपनी)

.....अप्रार्थीगण

''प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 166, 140 मोटर वाहन अधिनियम''
बाबत् क्लेम रूपये 55,40,000/–

उपस्थिति: –
01– श्री ओ.पी. प्रजापत , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
02– अप्रार्थी संख्या 01 व 2 की एकपक्षीय कार्यवाही ।
03– श्री विमल गोयल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से।

–––––

अ धि नि र्ण य **दिनांक –14.07.2026**

1– प्रार्थीगण/याचीगण की ओर से मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत अप्रार्थीगण/अयाचीगण के विरूद्ध यह याचिका बाबत दिलवाये जाने क्षतिपूर्ति राशि 55,40,000/– रूपये एवं ब्याज व खर्चा हेतु दिनांक 29.11.2021 को प्रस्तुत की गई। उक्त पत्रावली माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोही के आदेश से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम संख्या 01, आबूरोड से अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। जिसका विचारण पूर्ण होने पर एतदद्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2– याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 18.08.2021 को मृतक अपने साथ मजदूरों के साथ वाहन पिकअप संख्या आरजे–19 जीसी–2477 में बेठकर मोहब्बत नगर की तरफ जा रहा था कि समय सायः करीब 4.55 बजे पर जैसे ही मृतक बरलुट बावली मुख्य मार्ग पर बावली रोड के मोड पर पहुंचा था कि अचानक पिकअप

चालक सुरेश ने अपने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर वाहन पिकअप को पलटी कर दुर्घटना कारित की थी जिससे मृतक के सिर व अन्य जगहों पर गंभीर, अंदरुनी चोटें आने के कारण मृतक की मृत्यु हो गई थी । उक्त दुर्घटना पिकअप चालक सुरेश की गलती, लापरवाही व बऐहतियातीपूर्वक वाहन चलाने के कारण घटित हुई थी ।

3– उक्त दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 94/2021 पुलिस थाना बरलुट में धारा 279, 337, 304 ए भादस में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान वाहन चालक अप्रार्थी सं० 1 के विरूद्ध उक्त धाराओं के तहत आरोप पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण मृतक के विधिक उत्तराधिकारी हैं जिनका यह अभिवचन रहा है कि मृतक दुर्घटना के पूर्व मजदूरी का कार्य करता था जिससे प्रतिमाह 15,000/– आय अर्जित कर लेता था। मृतक की आयु वक्त घटना 23 वर्ष की थी, उसकी दुर्घटना में मृत्यु के कारण प्रार्थीगण/याचीगण को क्षति कारित हुई । अंत में प्रार्थीगण ने आय व सम्पत्ति की क्षति में कुल 55,40,000/– रूपये एवं ब्याज व खर्चा दिलाये जाने का निवेदन किया।

4– अप्रार्थी संख्या 01 व 2 की एकपक्षीय कार्वाही अमल में है ।

5– अप्रार्थी संख्या **03 बीमा कंपनी** की ओर से याचिका का जबाव पेश कर याचिका के अधिकांश पदों में वर्णित अभिवचनों को जानकारी के अभाव में एवं गलत होना बताकर अस्वीकार करते हुए जबाव–स्वरूप अभिकथन किये कि उक्त दुर्घटना वाहन पिकअप संख्या आरजे19 जीसी2477 के चालक सुरेश की गलती से नहीं होने के कारण एवं दुर्घटना मृतक स्वयं की गलती से घटित होने के कारण प्रार्थीगण उत्तरदाता से मुआवजा पाने के अधिकारी नहीं है । वाहन पिकअप संख्या आरजे19 जीसी2477 में बैठकर यात्रा करने वाले निःशुल्क यात्री, ग्रेटीटयस पैसेंजर अथवा किराया देकर बैठने वाले यात्री की क्षति अथवा मृत्यु के लिए वाहन स्वामी अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति ने उत्तरदाता बीमा कंपनी को बीमा प्रीमियम अदा नहीं किया है जिससे उत्तरदाता मुआवजा अदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है । वक्त दुर्घटना वाहन पिकअप अवैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंसधारी व्यक्ति द्वारा नहीं चलाए जाने के कारण एवं जिसकी जानकारी उक्त वाहन के स्वामी को होते हुए भी उक्त वाहन के स्वामी द्वारा उक्त वाहन को चलाने के लिए अपने चालक को दिए जाने के कारण एवं उक्त वाहन के चालक को भी यह ज्ञात होते हुए भी कि उसके पास उक्त वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस नहीं है फिर भी उक्त वाहन को चलाने के कारण उत्तरदाता बीमा कंपनी मुआवजा अदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है । दुर्घटना की जांच करने वाले अनुसंधान अधिकारी द्वारा धारा 158 (6) एमवीएक्ट के प्रावधानों के अुनसार दुर्घटना होने की सूचना बीमा कंपनी को नहीं दी है एवं वाहन स्वामी ने भी तथाकथित दुर्घटना होने की सूचना बीमा कंपनी को नहीं दी है जिससे एमवीएक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन होने से उत्तरदाता मुआवजा अदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है ।उत्तरदाता धारा 147, 149 एमवीएक्ट के प्रावधानों को एडोप्ट करता है। अंत में अप्रार्थी बीमा कंपनी के विरूद्ध याचिका हर्जे–खर्चे सहित खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

6– उभय पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक विरचित किये गयेः –

01– आया दिनांक 18.08.2021 को मृतक अपने साथ मजदूरों के साथ वाहन पिकअप संख्या आरजे–19 जीसी–2477 में बेठकर मोहब्बत नगर की तरफ जा रहा था कि समय सायः करीब 4.55 बजे पर जैसे ही मृतक बरलुट बावली मुख्य मार्ग पर बावली रोड के मोड पर पहुंचा था कि अचानक पिकअप चालक सुरेश ने अपने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर वाहन पिकअप को पलटी कर दुर्घटना कारित की थी जिससे मृतक के सिर व अन्य जगहों पर गंभीर, अंदरुनी चोटें आने के कारण मृतक की मृत्यु हो गई थी ?

.....प्रार्थीगण

02– आया दुर्घटना प्रार्थीगण विपक्षी/विपक्षीगण क्लेम प्रार्थनास पत्र में बताई गई राशि

रुपये 55,40,000/– रुपये या अन्य प्रतिकर विपक्षीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं, यदि हां तो कितना व किस–किस से तथा किस कदर ?

.....प्रार्थीगण

03– आया विपक्षी/विपक्षीगण द्वारा क्लेम प्रार्थना पत्र के जवाब व विशेष कथनों में उठाए गए एतराज के आधार पर मआवजा करने के लिए दायी नहीं है ?

..... अप्रार्थीगण

04– अनुतोष ?

7– प्रार्थीगण की ओर से क्लेम याचिका के समर्थन में बतौर साक्षी ए.डब्ल्यू.1 हकली, गवाह ए.डब्ल्यू.2 बाबू व गवाह ए.डब्ल्यू.03 दलाराम के बयान अधिकरण के समक्ष लेखबद्ध करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 लगायत प्रदर्श 33 दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये, इन साक्षीगण से अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा जिरह पूर्ण की गई। अप्रार्थीगण की ओर से क्लेम याचिका के समर्थन में बतौर साक्षी एनएडब्ल्यू1 नारायण लाल परिहार, एनएडब्ल्यू2 सौरभ सिन्हा के बयान अधिकरण के समक्ष लेखबद्ध करवाए गए । अप्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाए ।

8– बहस अंतिम सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने याचिका में तर्णित तथ्यों को दोहराया और तर्कपूर्ण निवेदन किया कि दिनांक 18.08.2021 को शाम 5.00 के लगभग मृतक रुपा उर्फ बासुराम पिकअप नंबर आरजे–19 जीसी–2477 में बैठकर मोहब्बत नगर की तरफ जा रहा था तब पिकअप चालक सुरेश ने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर पलट दिया जिससे मृतक के शरीर पर गंभीर चोटें आई और उक्त चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई । मृतक मजदूरी का कार्य कर 15,000/– रुपये मासिक आय अर्जित करता था । चालक सुरेश के विरुद्ध दुर्घटना कारित करने बाबत आरोप पत्र पेश हुआ है । प्रार्थीगण की साक्ष्य से क्लेम याचिका के तथ्य साबित है अतः वाहन प्रतिकर दिलाया जावे ।

9– विद्वान अधिवक्ता बीमा कंपनी ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया और तर्कपूर्ण निवेदन किया कि दुर्घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी परीक्षित नहीं हुअ । ए.डब्ल्यू.01, ए.डब्ल्यू02 व ए.डब्ल्यू.03 मृतक के माता–पिता और भाई है जिन्होंने दुर्घटना नहीं देखी । आगे तर्क रहा है कि आहत अब्दुल अजीज को परीक्षित नहीं करवाया है । मृतक ठेकेदार के यहां काम करता हो, इसका कोई वेतन प्रमाण पत्र पेश नहीं हुआ । आधार कार्ड के अनुसार मृतक की आयु वक्त दुर्घटना 25 वर्ष व 8 माह थी । मृतक गुड्स वाहन में अनुगृही यात्री के रुप में यात्रा कर रहा था जिस बाबत बीमा कंपनी की कोई देयता नहीं बनती ना ही वक्त दुर्घटना वाहन में कोई सामान भरा था । अतः क्लेम याचिका खारिज की जावे ।

10– बहस के समर्थन में न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किए जो निम्न है–

1. **Malaram & Anr. VS Mohanram & Ors.**
2. **National Insurance Company Ltd. VS Smt. Geeta & Ors.**
3. **Oriental Insurance Co. Ltd. VS Netram & Anr.**
4. **Kamla & Anr. VS Allabux**
5. **Cholamandalam General Insurance co. Ltd Jaipur VS Smt. Badami**
6. **New India Assurance Com. Limited VS Smt. Rodi & Ors.**
7. **Kamla & Anr. VS Allabux**

11– हमने बहस के तर्कों पर मनन किया । प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया । अभिलेख का अवलोकन किया । प्रकरण में कायम किए गए विवाद्यकों पर आई साक्ष्य का विवेचन व निष्कर्ष निम्न अनुसार है ।

विवाद्यक संख्या 01

12– इसमें प्रार्थीगण को साबित करना है कि आया **दिनांक 18.08.2021 को समय सायः 4.55 बजे पर सरहद बावली मोड पर बरलुट बावली मुख्य मार्ग पर विपक्षी संख्या 01 सुरेश ने अपने वाहन पिकअप संख्या आरजे–19 जीसी–2477 को विपक्षी संख्या 02 व 03 के सेवा नियोजन में रहकर उनके लाभार्थ एवं हितार्थ उक्त वाहन को तेजगति , लापरवाही व उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की परिणामस्वरुप मृतक की मृत्यु कारित हुई?**

13– **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर.2011 (सुप्रीम कोर्ट) (सिविल) 703, परमेश्वरी बनाम अमीरचंद** के मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा–166/163 ए मोटर वाहन अधिनियम के मामलों में फौजदारी मामलों की तरफ युक्तियुक्त संदेह से परे मामला साबित नहीं करना होता है। मोटर वाहन अधिनियम के मामलों में प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर दुर्घटना की क्लेम याचिका में मामला साबित करना होता है।

14– उपरोक्त विवाद्यक के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन करें तो प्रार्थीगण ने अपने क्लेम प्रार्थना पत्र में दिनांक 18.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पिकअप नंबर आरजे–19 जीसी–2477 को तेजगति व लापरवाही से चलाकर पलटी खिला देना और उससे आई चोटों के कारण मृतक की मृत्यु हो जाना दर्शित किया है । प्रार्थीगण की ओर से ए.डब्ल्यू.01 हकली परीक्षित हुई जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 19.08.2021 को उसका पुत्र रुपाराम उर्फ बासुराम अपने मित्रों के साथ उसके ठेकेदार के वाहन पिकअप नंबर आरजे–19 जीसी–2477 में बैठकर जा रहा था तब पिकअप चालक सुरेश ने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर पलटी कर दिया जिससे उसके पुत्र के गंभीर चोटें आने से मृत्यु हो गई । उसका पुत्र प्रतिमाह 15,000/– रुपये की आय अर्जित करता था। उसकी पुत्रवधु चंपा ने दूसरी शादी कर ली है । आगे साक्षी प्रदर्श 01 से प्रदर्श 33 दस्तावेज प्रदर्शित करवाया जाना कथन करती है । जिरह में स्वीकार करती है कि उसे दुर्घटना की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है । उसने मृतक का वेतन प्रमाण पत्र पेश नहीं किया । आधार कार्ड में उसके पुत्र की जन्मतिथि 01.01.1996 अंकित है । पी.डब्ल्यू.02 बाबू का कहना है कि घटना के रोज उसका पुत्र मित्रों के साथ पिकअ नंबर आरजे –19 जीसी–2477 में जा रहा था तब पिकअप चालक सुरेश ने पिकअप को तेजगति व लापरवाही चलाकर पलट दिया । उक्त दुर्घटना में आई चोटों के कारण उसके पुत्र की मृत्यु हो गई । उक्त साक्षी स्वीकार करता है कि उसे दुर्घटना की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है । ए.डब्ल्यू.03 दलाराम का कहना है कि दिनांक 19.08.2021 को उसका भाई पिकअप में बैठकर जा रहा था तब पिकअप चालक सुरेश ने पिकअप को तेजगति व लापरवाही से चलाकर वाहन को पलटी कर दिया जिससे उसके भाई की मृत्यु हो गई । प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि उसे दुर्घटना की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है ।

15– बतौर दस्तावेजी साक्ष्य पर्चा प्रदर्श 01 में आहत अब्दुल अजीज का कहना है कि वह और उसका साथी रुपाराम ड्राईवर सुरेश के साथ पिकअप से जा रहे थे तब ड्राईवर सुरेश ने पिकअप को तेजगति व लापरवाही से चलाकर पलट दिया जिससे बासुराम उर्फ रुपाराम की मृत्यु हो गई । प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 02 में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पिकअप को तेजगति व लापरवाही से चलाकर पलटी खिलाना दर्शित किया गया है । नक्शा मौका प्रदर्श 03 में मार्क एक्स स्थान पर पिकअप का पलटी खाकर गिरा होना दर्शित है । आरोप पत्र प्रदर्श 04 में अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध पिकअप को तेजगति व लापरवाही से चलाकर मृतक की दुर्घटना में मृत्यु कारित करने बाबत धारा 279, 337, 304 ए में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है । पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 05 में मृतक के दुर्घटना में सिर पर आई चोट के कारण मृत्यु हो जाना दर्शित किया गया है । पंचनामा प्रदर्श 07 में सडक दुर्घटना में

सिर में आई चोटों के कारण मृतक की मृत्यु होना दर्शित किया गया है । इस प्रकार प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य में यह स्पष्ट कथन आया है कि वक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रश्नगत वाहन पिकअप को तेजगति व लापरवाही से चलाया जिससे पिकअप पलटी खा गया और पिकअप में सवार सुरेश के सिर में चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई । अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध इस बाबत बाद अनुसंधान आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ है । पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस तथ्य का अनुसमर्थन करती है कि मृतक की मृत्यु का कारण सिर में आई गंभीर चोटें थीं । उक्त साक्ष्य के खंडन में अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई ।

16– जहां तक वक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 01 का चालक होना, अप्रार्थी संख्या 02 का स्वामी तथा अप्रार्थी संख्या 03 के यहां प्रश्नगत वाहन बीमित होने का प्रश्न है तो अभिलेख पर नोटिस प्रदर्श 12 प्रदर्शित करवाया गया है जिसमें अप्रार्थी संख्या 02 ने लिखित में दिया है कि वह प्रश्नगत वाहन का स्वामी है जिस पर दुर्घटना की दिनांक को सुरेश ड्राईवर था । नोटिस प्रदर्श 13 में अप्रार्थी संख्या 01 ने स्वीकार किया है कि दिनांक 18.08.2021 को वक्त दुर्घटना ड्राईवर वह खुद था तथा उसके द्वारा पिकअप का चालन किया जा रहा था । ड्राईविंग लाईसेंस प्रदर्श 14 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 के पास वैध चालक अनुज्ञप्ति थी वहीं पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्श 15 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 02 प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी था । बीमा प्रमाण पत्र प्रदर्श 16 के अनुसार प्रश्नगत वाहन दुर्घटना की दिनांक को अप्रार्थी संख्या 03 के यहां बीमित था । फिटनेस प्रदर्श 17 व Pucc नंबर प्रदर्श 18 के अनुसार प्रश्नगत वाहन संचालन हेतु पूर्णतया फिट था । इस प्रकार प्रार्थी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के खंडन में अप्रार्थीगण ने इस आशय की कोई साक्ष्य पेश नहीं की कि वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन पर अप्रार्थी संख्या 01 चालक नहीं हो या उक्त वाहन अप्रार्थी संख्या 02 के स्वामित्व का नहीं हो अथवा उक्त वाहन अप्रार्थी संख्या 03 के यहां बीमित नहीं हो अर्थात प्रार्थी पक्ष की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य अखंडित रही है अतः उपरोक्त विवाद्यक प्रार्थीगण की साक्ष्य से साबित होना पाया जाता है । अतः प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है ।

विवाद्यक संख्या 03

17– उपरोक्त विवाद्यक में अप्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों को निस्तारण करना है । अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की प्रथम आपत्ति यह रही है कि मृतक की आय के संबंध में कोई वेतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं है। मृतक की आयु व आय का निस्तारण विवाद्यक संख्या 02 में किया जाएगा । अप्रार्थी बीमा कंपनी की मुख्य आपत्ति यह रही है कि प्रश्नगत वाहन गुड्स व्हीकल था जिस पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के बाबत बीमा कंपनी की कोई देयता नहीं बनती । इस संबंध में बीमा कंपनी की ओर से एन.ए.डब्ल्यू.01 नारायण लाल परिहार को परीक्षित करवाया जिसने सशपथ कथन किया कि पिकअप संख्या आरजे–19 जीसी–2477 की पॉलिसी प्रदर्श 16 है जिसमें वाहन गुड्स व्हीकल के रुप में बीमित था । उक्त वाहन ने पैसा देकर या निःशुल्क यात्रा करने वाले व्यक्ति की क्षति अथवा मृत्यु होने पर बीमा कंपनी की कोई देयता नहीं बनती । एन.ए.डब्ल्यू.02 सौरभ सिन्हा ने भी इस याचिका का कथनि किया कि प्रश्नगत वाहन संख्या आरजे–19 जीसी–2477 व्हीकल के रुप में पंजीकृत था जिस पर निःशुल्क अथवा पैसे देकर यात्रा करने वाले व्यक्ति की क्षति या मृत्यु पर कंपनी की कोई देयता नहीं बनती । प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी स्वीकार करता है कि प्रदर्श 15 आरसी में सिटिंग कैपेसीट ड्राईवर सहित पांच की है । इस बात को भी सही बताया कि मृतक अनुगृहित या पेड यात्री या मजदूर था, इस संबंध में कंपनी ने ना तो कोई जांच की और ना करवाई और इस बात को सही बताया कि प्रदर्श 16 बीमा पॉलिसी में एक्स स्थान पर दो लोगों का प्रीमियम लिया हुआ हो और इस बात को भी सही बताया कि बीमा पॉलिसी में पैकेज पॉलिसी होना लिखा हुआ है । इस प्रकार स्वयं एन.ए.डब्ल्यू02 के कथनों के अनुसार प्रश्नगत पिकअप में सिटिंग कैपेसिट पांच प्लस एक की थी । बीमा

पॉलिसी ने दो लोगों का प्रीमियम लिया हुआ था और प्रश्नगत वाहन का पॉलिसी पैकेज पॉलिसी थी । इस प्रकार प्रश्नगत वाहन की पॉलिसी का कोई ब्रिच हुआ हो, यह साबित नहीं है । बीमा कंपनी की ओर से इस आशय की कोई साक्ष्य पेश नहीं की कि मृतक वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन में निःशुल्क या किराया देकर यात्रा कर रहा हो। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि मृतक मजदूर था और ठेकेदार के कहने पर प्रश्नगत वाहन को मजदूरी के आशय से यात्रा कर रहा था। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी की ओर से उठाई गई उक्त आपत्ति पोषणीय नहीं है, अन्य कोई सारवान आपत्ति नहीं उठाई गई ।

18– जहां तक बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का प्रश्न है तो हस्तगत प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियां भिन्न होने के कारण उक्त नजीरों में बीमा कंपनी को कोई सहायता प्राप्त नहीं थी। उपरोक्त विवेचन अनुसार उपरोक्त विवाद्यक अप्रार्थीगण की साक्ष्य से साबित होना नहीं है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है ।

<u>विवाद्यक संख्या 02</u>

19– दुर्घटना में मृतक रुपाराम उर्फ बासुराम की मृत्यु हो जाने से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से मुआवजा राशि 55,40,000/– रुपये किस प्रकार और किससे कितना–कितना प्राप्त करने के अधिकारी है ।

20– उपरोक्त तनकी के संबंध में याची पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया।

21– मोटर वाहन दुर्घटना प्रकरणों में जहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु/उपहति कारित होती है, वहाँ मृतक/आहत व्यक्ति की आयु, आय एवं गुणक का निर्धारण किया जाना मुख्यतया आधार बिन्दु होते हैं।

22– जहां तक मृतक की वक्त दुर्घटना आयु का प्रश्न है तो क्लेम याचिका में मृतक की आयु वक्त दुर्घटना 23 वर्ष होना वर्णित किया है । वहीं ए.डब्ल्यू.01, ए.डब्ल्यू.02 ने अपने मुख्य परीक्षण में मृतक की आयु 23 वर्ष होना दर्शित किया है । अभिलेख पर मृतक का आधार कार्ड प्रदर्श एनए 1 प्रस्तुत है जिसमें उसकी जन्मतिथि 01.01.1996 अंकित की गई है । उक्त दस्तावेज के अनुसार वक्त दुर्घटना अर्थात 18.08.2021 को मृतक की आयु 25 वर्ष होना दर्शित है । अतः मृतक की आयु वक्त दुर्घटना 25 वर्ष अभिनिर्धारित की जाती है । माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत व **सिविल अपील संख्या 3483/08 निर्णय दिनांक 15.04.2009, सरला वर्मा बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन** व न्यायिक दृष्टान्त–**Special Leave Petition (Civil) No. 25590 OF 2014 National Insurance Company Limited Versus Pranay Sethi and Ors. में** प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतका को 21–25 आयु वर्ग का मानते हुए 18 का गुणांक निर्धारित किया जाना न्यायोचित है ।

23– जहां तक मृतक की आय का प्रश्न है तो क्लेम याचिका में मृतका का मजदूरी कर 15,000/– रुपये मासिक आय होना दर्शित किया गया है परंतु आय के संबंध में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई । चूंकि मृतक मजदूर था ऐसी स्थिति में मृतका को अकुशल श्रमिक मानते हुए श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार उसकी अकुशल श्रमिक न्यूनतम आय अभिनिर्धारित किया जाता है । दुर्घटना वर्ष 2021 की है । वर्ष 2021 में राजस्थान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के दर के अनुसार अकुशल श्रमिक की आय **6,734/–** रुपये अभिनिर्धारित की गई है। अतः मृतक की मासिक आय **6,734/–** रुपये अभिनिर्धारित की जाती है ।

24– जहॉ तक मृतक को भविष्य में होने वाली आय की वृद्धि का प्रश्न है ,

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त-**Special Leave Petition -Civil No-25590 OF 2014 National Insurance Company Limited Versus Pranay Sethi and Ors-Date of Decisioin 31-10-2017** में प्रतिपादित सिद्धान्त की रोशनी में मृतक की आयु 25 वर्ष होने से एवं मृतक के अस्थाई नियोजन में होने से उसकी मासिक आय 6,734/– रूपये की 40 प्रतिशत राशि, भविष्य की आय की वृद्धि के रूप में जोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः मृतक की मासिक आय 6,734/– **रूपये का 40 प्रतिशत 2694/–रूपये जोड़े जाने पर मृतका की कुल मासिक आय 9428/–रूपये होना अवधारित किया जाता है।**

25– जहाँ तक मृतक पर आश्रित रहे व्यक्तियों का प्रश्न है, याचिका में मृतक के 3 विधिक वारिसान रहे हैं । जिसमें प्रार्थी संख्या 01 मृतका की माता, प्रार्थी संख्या 02 मृतक का पिता व प्रार्थी संख्या 03 प्रार्थी की विधवा परंतु ए.डब्ल्यू.01 ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि प्रार्थी संख्या 03 चंपा ने दूसरी शादी कर ली है । वक्त दुर्घटना चंपा मृतक की वैध विवाहित पत्नी थी उसके पुनर्विवाह कर लेने मात्र से उसके प्रतिकर का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण संख्या 01 से 03 मृतक के विधिक वारिसान होना अभिनिर्धारित किया जाता है । ऐसी स्थिति में मृतका के आश्रितों की सं. 3 होने पर 1/3 राशि स्वयं के खर्चे पेटे कम किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार मृतका की मासिक आय **9428/– में से 1/3 राशि 3143/– रूपये कम करने पर मृतका की मासिक आय 6285/– अभिनिर्धारित की जाती है।**

26– परिणामतः मृतक की मृत्यु के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण को आय की क्षति के रूप में **6285×12×18 = 13,57,560/– तेरह लाख सत्तावन हजार पांच सौ साठ रुपये मात्र** दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

27– जहाँ तक मृतक की मृत्यु के परिणामस्वरूप सम्पदा की क्षति, प्रार्थीगण को मृतक से, मिलने वाले नैसर्गिक प्रेम व स्नेह से वंचित होने की क्षति तथा मृतक के दाह संस्कार के खर्चों का प्रश्न है, उक्त न्यायिक दृष्टान्त **''नेशनल इंश्योरेंस कं.लि. बनाम प्रणय सेठी, एस.एल.पी.नं.25590/14 निर्णय दिनांक 31–10–17''** की रोशनी में प्रार्थीगण सम्पदा की क्षति के रूप में 18000/–रूपये, नैसर्गिक प्रेम व स्नेह की क्षति के रूप में 48,000/–रूपये प्रत्येक प्रार्थीगण को व अंतिम संस्कार के खर्च की क्षति के रूप में 18000/–रूपये कुल 18000+ 1,44,000+ 18,000= 1,80,000/–**अक्षरे एक लाख अस्सी हजार** रूपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

28– इस प्रकार प्रार्थीगण, उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप आय की क्षति, सम्पदा की क्षति, नैसर्गिक प्रेम व स्नेह की क्षति एवं मृतक के अंतिम संस्कार के खर्च की क्षति के मद तथा चिकित्सा के मद में क्रमशः **13,57,560/– + 18,000/– + 1,44,000/– + 18,000/– = 15,37,560/– अक्षरे पंद्रह लाख सेतीस हजार पांच सौ साठ रूपये मात्र** प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अन्य वांछित प्रतिकर के संबंध में कोई सुदृढ़ साक्ष्य नहीं होने से अन्य कोई प्रतिकर राशि दिलाया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवाद्यक आंशिक रुप से प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है ।

विवाद्यक संख्या 04– अनुतोषः–

29– अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के अनुरूप तनकी संख्या–1 प्रार्थीगण के पक्ष में, तनकी संख्या–3 अप्रार्थीगण के विरूद्ध व तनकी संख्या–2 प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक रूप से निर्णीत की गई है। वक्त दुघर्टना अप्रार्थी सं.1 प्रश्नगत वाहन का चालक, अप्रार्थी संख्या 02 प्रश्नगत वाहन का स्वामी एवं अप्रार्थी सं.3 के बीमा कम्पनी होने का विवाद्यक तथ्य साबित होना पाया गया है। अतः प्रार्थीगण सं० 1 से 3 अप्रार्थीगण से संयुक्ततः व पृथकतः कुल प्रतिकर राशि **15,37,560/– अक्षरे पंद्रह लाख सेतीस हजार पांच सौ साठ रूपये मात्र** प्राप्त करने के हकदार है।

पं चा ट

30– अतः प्रार्थीगण सं० 1 से 3 की क्लेम याचिका विरूद्ध अप्रार्थीगण सं.1 ता 3 आंशिक रूप से स्वीकार कर अंतिम पंचाट इस प्रकार से पारित किया जाता है कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं.1 ता 3 से संयुक्तः व पृथकतः राशि **15,37,560/– अक्षरे पंद्रह लाख सेतीस हजार पांच सौ साठ रूपये मात्र** रूपये मात्र क्लेम याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 29.11.2021 से ताअदायगी 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

31– प्रार्थीगण ने पूर्व में यदि धारा 140 मोटरवाहन अधिनियम के तहत कोई प्रतिकर राशि प्राप्त कर ली हो, तो वह राशि उपरोक्त अंतिम पंचाट की राशि में समायोजित होगी।

32– अप्रार्थीगण को यह आदेश दिया जाता है कि वे आगामी 60 दिवस की अवधि में अवार्ड एवं ब्याज राशि अधिकरण के बैंक खाता नं. 3731128928 सेंट्रल बैंक शाखा आबूरोड आईएफएससी कोड सीबीआईएन0282458 में सीधे जरिये NEFT OR RTGS MODE से जमा करवाये तथा इसकी सूचना इस अधिकरण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय ACTC 2019(1) PAGE 111 में दिये गये फोर्मेट में देवे। राशि अधिकरण में जमा होने पर प्रतिकर राशि का वितरण निम्न प्रकार किया जायेगाः–

क्र.सं	नाम प्रार्थी	याचिका प्रस्तुती के समय आयु	मृतक से संबंध	बचत खाता में देय नकद राशि	मियादी जमा खाता में देय राशि	मियादी जमा खाता में जमा राशि की अवधि
01	हकली	58 वर्ष	माता	2,00,000/–	3,00,000/–	एक वर्ष
02	बाबु	61 वर्ष	पिता	2,00,000/–	3,00,000/–	एक वर्ष
03	चम्पादेवी	21 वर्ष	पत्नी	2,37,560/– मय सम्पूर्ण ब्याज	3,00,000/–	एक वर्ष

33– प्रार्थीगण के नाम की उपरोक्त सावधि जमाओं का अवधि पूर्व एवं अधिकरण की अनुमति के बिना भुगतान नहीं किया जायेगा एवं इन जमाओं पर किसी तरह का ऋण देय नहीं होगा, किन्तु प्रार्थीगण अपनी सावधि जमाओं पर त्रैमासिक अंतराल से ब्याज जरिये बचत खाता प्राप्त करने के अधिकारी होगें।

(सुरेश कुमार–प्रथम)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
क्रम संख्या–02, आबूरोड

34– निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 14–07–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार–प्रथम)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
क्रम संख्या–02, आबूरोड